

संख्या 27/01/2006-एस0 आर0 (एस0)

भारत सरकार

कामक, लाक शिकायत तथा पशन मंत्रालय,  
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,  
खान मार्केट, नई दिल्ली. 110003  
दिनांक जुलाई, 2008

आदेश 01/2008


उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रूप से आबन्तित समझा जायेगा:

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा:

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्तित नहीं समझा जायेगा।

परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001-एस.आर.एस. दिनांक 11.9.2001 के द्वारा उत्तराखंड राज्य को आबंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रूप से आबंटित समझे जायेंगे जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता।

यह अंतिम आबंटन राज्य परामर्शदात्री समिति की दिनांक 24.7.2008 को हुई 64 वीं (विशेष) बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है।

  
(वि. पददत्ता)

उप सचिव, भारत सरकार  
उप सचिव/Deputy Secretary  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  
लोक नायक भवन, नई दिल्ली  
भारत सरकार/Govt. of India

संलग्नक: 1. अनुबंध (02 पृष्ठों में) उत्तराखंड राज्य में आबंटन के लिए निर्माण विभाग के 41 कार्मिकों की सूची।


प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।  
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल सरकार, देहरादून।  
3. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, सातवां तल, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।  
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।

3 JUL 2008

विभाग का नाम :  
आर्बिट्रिट राज्य :

लोक निर्माण विभाग  
उत्तराखण्ड

क.सं.	नाम (सर्वश्री)	पदनाम	श्रेणी
1.	धर्मवीर नागपाल	अधिशाली अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
2.	जितेन्द्र कुमार पंत	अधिशाली अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
3.	हेमंत कुमार उप्रेती	सहायक अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
4.	राजेन्द्र प्रसाद	सहायक अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
5.	लोकेश कुमार शर्मा	सहायक अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
6.	रवि रंजन	सहायक अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
7.	बदन सिंह	सहायक अभियंता (सि०)	अन्य पिछड़ा वर्ग
8.	वीरेन्द्र कुमार वर्मा	सहायक अभियंता (सि०)	अन्य पिछड़ा वर्ग
9.	हेत राम	सहायक अभियंता (सि०)	अन्य पिछड़ा वर्ग
10.	दयानंद	सहायक अभियंता (सि०)	अन्य पिछड़ा वर्ग
11.	लाल सिंह	सहायक अभियंता (वि०)	सामान्य श्रेणी
12.	एस.के. सिंघल	अवर अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
13.	मनोहर लाल अरोरा	अवर अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
14.	विजय कुमार गर्ग	अवर अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
15.	परमहंस मिश्रा	अवर अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
16.	अशोक कुमार सिन्हा	अवर अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
17.	विजय किशोर	अवर अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
18.	नरेश चन्द्र	अवर अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
19.	राजेन्द्र सिंह	अवर अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
20.	अजीत कुमार शर्मा	अवर अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
21.	राजेन्द्र राय	अवर अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
22.	अरूण कुमार माहेश्वरी	अवर अभियंता (सि०)	सामान्य श्रेणी
23.	इस्लामुद्दीन	अवर अभियंता (सि०)	अन्य पिछड़ा वर्ग
24.	जफर अली	अवर अभियंता (सि०)	अन्य पिछड़ा वर्ग
25.	राम कृष्ण यादव	अवर अभियंता (सि०)	अन्य पिछड़ा वर्ग
26.	श्याम सिंह	अवर अभियंता (सि०)	अनुसूचित जाति
27.	रवि शंकर यादव	अवर अभियंता (सि०)	अन्य पिछड़ा वर्ग
28.	राम प्रसाद	अवर अभियंता (सि०)	अन्य पिछड़ा वर्ग

  
(वि. वेदवन्ता) DEPUTY SECRETARY  
उप सचिव/Deputy Secretary  
श्रीमक और प्रविक्षण विभाग  
Dept. of Personnel & Training  
Govt. of India

संलग्नक से आदेश नं. ०१/...../2008  
Annexure to order No. .... /2008  
दिनांक 31-7-08  
Dated.....